eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

भारत में महिला उत्पीड़न एवं मानवाधिकार एक अध्ययन

[1]श्रीमती सरला देवी चक्रवर्ती
[1]शोधार्थी/असिस्टेंट प्रोफेसर गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय, बदायूँ उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

जननी जननी हूं जीवन भी मैं जज्बातों पर मेरा जोर नहीं
सशक्त हूं, सरकार भी हूं, मैं नारी हूं कमजोर नहीं ।।

उक्त युक्ति को चरितार्थ करती भारतीय नारी के विषय में कहा जाता है कि सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र की निर्मात्री होती है। ऐसे में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना सशक्त एवं विकसित राष्ट्र की संकल्पना अधूरी सी प्रतीत होती है।

भारतीय संस्कृति की पावन परंपरा में नारी को सदैव सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति व अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी सशक्त, जाग्रत एवं शिक्षित हो, वह देश संसार में सबसे उन्नत माना जाता है। 'मनुस्मृति' में भी कहा गया है "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता" नारी नर की खान है। वह पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए गौरव और विश्व के लिए करूणा संजोने वाली महाकृति है। नारी का मानव की सृष्टि में ही नहीं, बल्कि समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

नारी और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते है। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परन्तु नारी की प्रस्थिति सभी समाजों में एक–समान नहीं है। जिस तरह परिवार में नारी व पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते है, उसी तरह समाज में भी नारी और पुरूष के कार्यो व स्थान में भिन्नता पाई जाती है।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे है। 'अपराध' कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। महिलाओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को निवस्त्र करना, भूखा–प्यासा रखना, जहर आदि देकर दहेज की बलि चढ़ा देना आदि महिलाओं के प्रति अपराध ही कहें जाएंगे। इस प्रकार से सम्पूर्ण देश में महिलाओं के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है, उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान होता रहा है। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण सभी नियम, कायदे पुरूषों के हिंतो को ध्यान में रख कर बनाये जाते रहें। खेलने और शिक्षा ग्रहण करने की आयु में बेटियों की शादी कर देना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता रहा है।

मुख्य शब्द– महिला उत्पीड़न, मानवाधिकार, शोषण, समाज, शिक्षा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, भारत।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

Introduction

भारत अहिंसा और त्याग की भूमि है। सभी धर्म यहां अहिंसा की शिक्षा देते हैं। अहिंसा परमो धर्मः।' परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहिंसा के उपदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो महिलाओं के साथ इतना अन्याय एवं उत्पीड़न नहीं होता। श्रष्टि की सृजन हार नारी स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय संस्कृति में नारी सदैव पूजनीय श्रद्धा शक्ति का स्रोत रही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, भारत में नारी ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति है।" भगवान राम ने भी मां/नारी को स्वर्ग से भी महान मानकर स्तुति की है–

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
मनुस्मृति' में भी कहा गया है–
"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता"

नारी नर की खान है। वह पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए गौरव और विश्व के लिए करूणा संजोने वाली महाकृति है। वर्तमान में महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे है। 'अपराध' कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। महिलाओं को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को निवस्त्र करना, भूखा–प्यासा रखना, जहर आदि देकर दहेज की बलि चढ़ा देना आदि महिलाओं के प्रति अपराध ही कहें जाएंगे। इस प्रकार से सम्पूर्ण देश में महिलाओं के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

स्त्री को सदैव ही सत्ता से दूर रखकर उसे पर नियंत्रण स्थापित किया गया है सभी सामाजिक पारिवारिक और धार्मिक मान्यताएं भी इस तरीके से गाड़ी गई हैं कि स्त्री को पुरुष से कमतर ही आंका जाए स्त्री पुरुष के पैदा होते ही दोनों के पालन पोषण के तरीके अलग–अलग होते हैं ऐसा क्यों इतना ही नहीं हमारी किताबों में भी लैंगिक भेदभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है उदाहरण के लिए राम बाजार जाता है लता खाना बनाती है कहीं यह नहीं लिखा होता कि राम खाना बनाता है तो तय हो गया कि पुरुष बाहर जाते हैं और महिलाएं घर पर और अगर कामकाजी महिलाओं की बात आती है तो हम तुरंत उससे सवाल करते हैं कि आप घर और काम कैसे संभालती हो क्या किसी पुरुष से ऐसा सवाल पूछा जाता है शायद नहीं उचित नारीवादी लेखिका सिमोन डाबर का कथन है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है स्त्री और पुरुष दोनों ही होमोसेपियंस हैं और ऐसे ही पैदा होते हैं प्रकृति ने स्त्री को स्तन और गर्व दो विशेषताएं दी है जो स्त्री को पुरुष से अलग करती हैं यह प्रकृति प्रदत विविधता है इसे इसके अलावा स्त्री पुरुष में कोई भी अंतर नहीं है स्त्री उपासक कर सकती है जो पुरुष कर सकता है क्योंकि दोनों ही होमो सेपियंस हैं केवल लेकिन हमारा समाज हमारी मान्यताओं के कारण लिंग के आधार पर हमेशा से भेदभाव करता आया है जो दुर्भाग्य से पुरुष के पक्ष में है और स्त्रियों के विपक्ष में यही कारण है कि स्त्री को सदियों से शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है।

शोध पद्वति– प्रस्तुत शोध पत्र वर्णात्मक विधि पर आधारित हैं। तथ्यों को एकत्र करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों वीडियो का प्रयोग किया गया है प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची प्रत्यक्ष अवलोकन आदि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीय स्रोतों से संबंधित संदर्भ पुस्तक को पत्र पत्रिकाओं आदि का प्रयोग किया गया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

अध्ययन का उद्देश्य– महिला उत्पीड़न एवं मानवाधिकार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समाज में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों की गंभीरता का पता लगाना है। मानवाधिकारों की सार्थकता को ज्ञात करना तथा महिलाओं में उत्पीड़न के खिलाफ अपने अधिकारों एवं उनके प्रति जागरूकता के बारे में पता लगाना है। ताकि महिला उत्पीड़न की समस्याओं को काफी हद तक काम किया जा सके।

महिला उत्पीड़न– उत्पीड़न महिला उत्पीड़न के अर्थ को समझने से पहले उत्पीड़न को समझना जरूरी है उत्पीड़न किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित व हानिकारक दुर्व्यवहार होता है या दुर्व्यवहार जाति धर्म लिंग राजनीति या अन्य किसी आधार पर भी हो सकता है। मानव होने के नाते मानवाधिकार लोगों को विरासत में मिले हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।

मानवाधिकार को नैतिक एवं कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसे कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। मानवाधिकार राज्य के विधि मान्य अपेक्षाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य मानवाधिकार का निर्माता औ समाज के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को शारीरिक या मानसिक रोग से आघात पहुंचाया जाता है या उसका शोषण किया जाता है तो वह महिला उत्पीड़न होता है किसी महिला से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से नहीं देना चाहती जिससे उस महिला को शारीरिक आघात या भावात्मक धक्का दोनों ही लगे, तो वह महिला उत्पीड़न है। महिला उत्पीड़न के विविध स्वरूप समाज में देखने को मिलते हैं– जैसे कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग भेद के रूप में, घरेलू हिंसा दहेज प्रथा बाल विवाह अनैतिक देह व्यापार वैवाहिक विवाद हिरासत तलाक बलात्कार और यौन उत्पीड़न इत्यादि।

मानवाधिकार– वैसे तो मानवाधिकारों के साथ भारत का सरोकार प्राचीन काल से ही रहा है हम वसुधैव कुटुंबकम के आराधक हैं, सर्वे भवंतु सुखिनाः हमारा धेय है। हमने विश्व को जियो और जीने दो का आदर्श दिया है। भारत के मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता इसी बात से स्पष्ट होती है कि विश्व मानवाधिकार के अधिकांश मुद्दों और सुझाव को मानते हुए 27 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। दिसंबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात या विधायक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना गया। यद्यपि मानवाधिकार पुरुष एवं महिला वर्गों की दृष्टि से एक ही है। परंतु महिलाओं के परिपेक्ष में मानवाधिकार का प्रश्न इसलिए विचारणीय है, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज में लिंग भेद की परंपरा सदियों से चली आ रही है। परिणाम स्वरूप महिलाओं को आज भी दोयम दर्जे का समझा जाता है। महिला उत्पीड़न एक कड़वी सच्चाई है।

हमारे भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों को उल्लेखित किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (छभ्त्ब्) की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को एक घोषणा पत्र द्वारा की गई। इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। 30 अनुच्छेद वाला यह घोषणा पत्र जिसमें शिक्षा का,समानता का, मानव गरिमा आदि कई प्रकार के अधिकार सम्मिलित है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

को उनके अधिकारों से अवगत कराना राज्य का कर्तव्य है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो।

महिला मानवाधिकार– महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन भ्रूण हत्या, परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान ना मिलना, दहेज हत्या, प्रशासनिक क्षेत्रों में समरूपता ना होना, पर्दा प्रथा आदि रूपों में हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार व अवसर प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में महिलाओं को समानता का अधिकार अनुच्छेद 30 में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनुच्छेद 243 में 73वे तथा 74वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर व ग्राम पंचायतों में महिलाओं हेतु एक तिहाई स्थान सुरक्षित किए गए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए अनेक अधिनियम जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937, स्त्री भरण पोषण अधिनियम 1946 तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, लिंग चयन प्रतिबद्ध अधिनियम1994, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम2013, आदि पारित किए गए। रहना पड़ता है।

महिलाओं के अधिकार –

महिलाओं के अधिकारों को दो भागों में बाटा गया है–

1– संवैधानिक अधिकार

2– कानूनी अधिकार

भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अलग–अलग अधिकार मिले हैं. इनमें अहम हैं दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, किसी घटना की स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार और बराबर वेतन पाने का अधिकार आदि–

महिलाओं के अधिकार– भारत सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, लैंगिक समानता हो या नौकरी–चाकरी में पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी, गरिमा और शालीनता (राइट्स ऑफ डिग्निटी) से जीने का अधिकार हो या ऑफिस–दफ्तर में उत्पीड़न (राइट्स अगेन्स्ट हरासमेंट) से सुरक्षा, महिलाओं से जुड़े ऐसे कई अधिकार हैं जिनके बारे में हमें जनना आवश्यक है। भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को मिले 11 अधिकार वे इस प्रकार है–

1–समान मेहनताना का अधिकार – इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी, पे या मेहनताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते. किसी कामकाजी महिला को पुरुष की बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है.

2–गरिमा और शालीनता का अधिकार – महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है. किसी मामले में अगर महिला आरोपी है, उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

3–दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा – भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है. इस कानून के तहत, महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को लिखित शिकायत दे सकती है.

4–**घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार –** भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला लिव–इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला है. पति, मेल लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार के महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते. आरोपी को 3 साल गैर–जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है.

5–पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार – किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है. अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वह अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है. किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है.

6–मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार– लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है. लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला का इंतजाम किया जाता है.

7–रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार – किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते. अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेड के आदेश को रखा गया है. कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हैं तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होना चाहिए.

8–वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार– कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है. इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है. महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिये अपनी शिकायत भेज सकती है. इसके बाद एसएचओ महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा.

9–अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल – किसी महिला (उसके रूप या शरीर के किसी अंग) को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक, या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है.

10– महिला का पीछा नहीं कर सकते – आईपीसी की धारा 354क के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी महिला का पीछे करे, बार–बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के जरिये मॉनिटर करने की कोशिश करे.

11–जीरो एफआईआर का अधिकार– किसी महिला के खिलाफ अगर अधिकार होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकती है. इसके लिए जरूरी नहीं कि कंप्लेंट

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है. जीरो एफआईआर को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ हो।

साहित्य समीक्षा– वर्तमान समय में महिला उत्पीड़न वैश्विक समस्या है।भारत जैसे देश में यह स्थिति और भी चिंतनीय है।आज बड़ी संख्या में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। विभिन्न अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययनों के आधार पर ज्ञात करने का प्रयास किया है कि महिला उत्पीड़न के क्या कारण रहे हैं, उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही हैं।उत्पीड़न का क्या कारण है और किस प्रकार से उत्पीड़न को कम किया जा सकता हैं।अधिकतर महिलाएं शिक्षित व जागरूक होने के बावजूद भी उत्पीड़न का शिकार हो रही है। वह चाहे घरेलू हिंसा हो या पारिवारिक या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो या दहेज के लिए प्रताड़ना हो या बलात्कार हो उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।

कुमारी सरिता (2015) ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण, स्वरूप, एवं निदान" शोध पत्र में महिलाओं महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न उनके कारण उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों एवं इसके निदान की चर्चा की है आपने बताया कि जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो हमारा तात्पर महज महिला के शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होता है परंतु महिलाओं के मन और अंतर्मन को यह उत्पीड़न कितना आहत करता है हिंसा का उनके दिलों दिमाग पर कितना गहरा एवं गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है या किसी को नहीं पता हो महिला उत्पीड़न अपमान शोषण दमन तिरस्कार एवं यंत्रणा उतनी ही पुरानी है जीतने की पारिवारिक जीवन यद्यपि हमारे संविधान एवं कानून में महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कानूनी अधिकार पारित है इन सब के बावजूद व्यवहार में उनको अधिकारों से उतना ही वंचित रखा गया है।

पाण्डेय सुनीता (2020) ने "भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार एवं महिलाएं", के अध्ययन में बताया कि हमारे भारत देश में प्राचीन समय से ही महिलाओं का स्थान सर्वोपरि रहा है। फिर भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते उसे सदैव अनेक समस्याओं का सामना, शोषण एवं हिंसा का शिकार होना पड़ता है। भारत में आज भी बेटे और बेटियों में भेद किया जाता है। बेटों की अपेक्षा बेटियों को कम महत्व दिया जाता है। यहां तक की लिंगपरीक्षण करा कर लड़की होने पर उसे गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। आज भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा उत्पीड़न विश्व व्यापी घटना बन गई है। जिसमें कोई भी समाज अछूता नहीं रहा है महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए समाज राज्य दोनों को ही अपना कर्तव्य निभाना होगा, साथ ही सरकारी व गैर सरकारी संगठनों एवं महिलाओं को स्वयं जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा, तभी महिला उत्पीड़न को काम किया जा सकता है।

महावर डॉ रंजना (2021) "भारतीय महिलाएं एवं मानवाधिकार एक अध्ययन" में बताया कि महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गए अधिनियमों के बाद भी महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त अधिनियम बने हुए हैं, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हो पा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह विच्छेद–तलाक अधिनियम, वेश्यावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता जैसे प्रमुख सुधारों से महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त अंतर आया है। फिर भी बहुत सी कमियां हैं जिनके चलते महिलाओं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

को वह मुकाम हासिल नहीं हो पाया है जो उसे वास्तव में मिलना चाहिए था। अतः महिलाओं को शिक्षित हो आत्मनिर्भर बनना होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रभावशाली भूमिका निभानी होगी साथ ही पीड़िता को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए तभी महिलाओं का समुचित विकास संभव हो पाएगा।

निष्कर्ष– महिलाएं किसी भी राष्ट्र, समाज परिवार की धुरी है जिनके मजबूत कंधों पर देश समाज परिवार का भविष्य निर्भर करता है। परंतु इसे विडंबना ही कहेंगे कि 'मातृ देवो भवः' के उद्घोष से अनुप्राणित हमारी भारतीय समाज में महिलाओं का सदैव से ही दोहन हुआ है। वह हमेशा किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार रही है। चाहे वह रामायण काल हो या महाभारत काल। स्वतंत्र भारत की यात्रा में महिलाओं की स्वतंत्रता मात्र कागजों में छपे चंद शब्दों तक ही सीमित रही। भारतीय समाज के चौमुखी विकास के लिए क्या आवश्यक है कि यहां की महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना 100þ योगदान दें। क्योंकि कोई भी देश अपनी आधी आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में नई दिल्ली के निर्भया कांड, उत्तर प्रदेश के बदायूं कांड, बुलंदशहर के सामूहिक बलात्कार कांड जैसी घटनाओं तथा बढ़ती महिला अपराधों की दर ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के उत्पीड़न के प्रमुख स्वरूप में लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बढ़ती बालिका मृत्यु दर, बालिका वेश्यावृत्ति, बाल व्यापार, शारीरिक मनोवैज्ञानिक शोषण, अश्लील साहित्य दिखाना, दहेज के मामले में वृद्धि, कार्यस्थल पर यौन शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाना व घरेलू हिंसा आदि है। महिलाओं के प्रति बढ़ती उत्पीड़न की दर उनके मध्य असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। आज माता–पिता अपनी बालिकाओं को घर से बाहर भेजने पर डरने लगे हैं। इससे भारत की विकास धरा प्रभावित हो रही है। महिला उत्पीड़न की घटनाओं का महिलाओं के शारीरिक मानसिक और आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उनका तनाव मानसिक दोष अवसाद जैसी बीमारियों ने जकड कर रखा हैं। जिसके कारण परेशान होकर लड़कियां आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगी है। अतः महिला उत्पीड़न ने आज एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है।

महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न को रोकने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा उनमें जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं शिक्षाविदों और सरकार सभी को मिलकर संयुक्त रूप से प्रयत्न करना होगा और स्वयं महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सजग होना पड़ेगा जब तक वह अपने ऊपर होने वाले अपराधों को चुपचाप सहेंगे उन पर अत्याचार होते ही रहेंगे यथा में यही कहूंगी कि

कलम मेरे हाथ में अब नहीं मैं बेचारी हूं
रुक रुक कर चल रही अभी ना मैं हारी हूं
वजन भले ही हल्का पर बातें लिखती भारी हूं
कल की तरह झुकने वाली नहीं, मैं आज के हिंद की नारी हूं।।

संदर्भ सूची–

1.नाटाणी शोभा (2010) पुस्तक 'भारतीय समाज और नारी– दशा एवं दिशा" प्रकाशक– मार्क पब्लिसर्स वैशाली नगर जयपुर

2.शर्मा मंजू (2008) पुस्तक "नारी शोषण और मानवाधिकार" प्रकाशकः राज पब्लिशिंग हाउस जयपुर

3.माहेश्वरी अविनाश (2011) पुस्तक "महिला अधिकार और कानून"प्रकाशकः प्रिज्म बुक्स (इंडिया) वैशाली नगर जयपुर

4. कुमारी सरिता (2015) ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण, स्वरूप, एवं निदान" ***JETIR1701298 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org© 2015 JETIR*** March 2015, Volume 2, Issue 3

5. ***(रेफरेंस-https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/11-women-rights-***india-312263-2016-03-08)

6.***Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika 2***020)P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-3* November- 2020 E: ISSN NO.: 2349-980X

7. महावर डॉ रंजना (2021) "भारतीय महिलाएं एवं मानवाधिकार एक अध्ययन" ***International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)*** 187 ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(I), April - June, 2021, pp.187-193